



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2019/आश्विन 5, 1941

No. 569]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2019/ASVINA 5, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2019

आय-कर

सा.का.नि. 694(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 199 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये 1 सितंबर, 2019 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 37खक में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी धारा 194ड के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर की गई कर की कटौती के लिए प्रत्यय ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके खाते से उस पूर्व वर्ष के, जिसमें ऐसे कर की कटौती की गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर की कटौती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है”

[अधिसूचना सं. 74/फा. सं. 370142/18/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 679(अ) तारीख 20 सितंबर 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064